संख्या – 16 गोशाला विकास/2012 48

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

विनय कुमार, भा0प्र0से0,

सरकार के सचिव।

URGENT

माननीय उच्च न्यायालय के अवमाननावाद से संबंधित

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

बिहार।

पटना–15, दिनांक 21/02/15

विषय : **बिहार गोशाला अधिनियम, 1950 के तहत निबंधित गोशालाओं की परिसम्पतियों की विवरणी उपलब्ध कराने तथा उन परिसम्पतियों पर से अतिक्रमण/अवैध दखल हटाने के संबंध में।**

प्रसंग : **माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष विचाराधीन अवमाननावाद एम.जे.सी. संख्या 590/2014 में दिनांक 18.02.2015 तथा 23.01.2015 को पारित आदेश तथा विभागीय पत्रांक 15 दिनांक 17.01.2015, पत्रांक 18 दिनांक 27.01.2015, पत्रांक 21 दिनांक 30.01.2015, पत्रांक 29 दिनांक 06.02.2015, पत्रांक 30 दिनांक 06.02.2015 तथा पत्रांक 31 दिनांक 06.02.2015।**

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 8428/2009, विकास चन्द्र गुड्डु बाबा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 03.03.2010 को पारित अंतिम आदेश के आलोक में राज्य सरकार को निबंधित गोशालाओं पर से अतिक्रमण/अवैध दखल हटाने तथा राज्य सरकार द्वारा गठित रामपाल अग्रवाल नूतन समिति की अनुशंसाओं पर विचार करने का निदेश दिया गया था। तत्पश्चात् आवेदक, विकास चन्द्र गुड्डु बाबा द्वारा अवमाननावाद एम.जे.सी. संख्या 6472/2012 दायर किया गया, जिसका निष्पादन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.06.2013 को इस आदेश के साथ किया गया कि राज्य सरकार बिहार गोशाला अधिनियम, 1950 के तहत 4 माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करे तथा गोशालाओं की परिसम्पतियों को अतिक्रमण/अवैध दखल से मुक्त कराये। इस आदेश के बाद आवेदक विकास चन्द्र गुड्डु बाबा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील संख्या 10506/2014 दायर किया गया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2014 को वाद को माननीय उच्च न्यायालय को रिमिट करते हुए प्रश्नगत अवमाननावाद पर विचार करने का आदेश दिया गया। तदोपरान्त अवमाननावाद संख्या 590/2014, विकास चन्द्र गुड्डु बाबा बनाम राज्य एवं अन्य आरंभ हुआ। वर्तमान मामले में प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिये गये निदेश उक्त वादों की पृष्ठभूमि में है।

21/2/15

2. वर्तमान अवमाननावाद एम.जे.सी. संख्या 590/2014 में दिनांक 23.01.2015 को यह आदेश पारित किया गया था कि 02.02.2015 तक सभी शेष गोशालाओं से सूचनाएँ प्राप्त कर प्रस्तुत की जाए; जिन मामलों में कोई न्यायिक या अर्द्ध न्यायिक स्थगन आदेश पारित नहीं है, वैसे मामलों में विशेषकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए; तथा जिन मामलों में स्थगन आदेश है, वैसे मामलों में अधिकतम एक माह के भीतर स्थगन आदेश को समाप्त करने की कार्रवाई की जाए तथा अतिक्रमण हटाया जाय। पुनः दिनांक 18.02.2015 को पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया है कि एम.जे.सी. संख्या 6472/2012 में दिनांक 21.06.2013 को पारित आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है।

3. उल्लेखनीय है कि कुल निबंधित 87 गोशालाओं में से 28 गोशालाओं की सूची संकलित की गई है जहाँ किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। **विभागीय पत्रांक 31 दिनांक 06.02.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/जमुई/मुजफ्फरपुर/वैशाली/पूर्वी चम्पारण / सारण/ सीवान** से 8 निबंधित गोशालाओं के संबंध में लंबित वादों की सूची भेजते हुए उनसे दिनांक 23.02.2015 तक विधिसम्मत् ढंग से अतिक्रमण हटाने का निदेश अनुमण्डल पदाधिकारियों को देने का अनुरोध किया गया था। यह भी अनुरोध किया गया था कि लंबित वादों में संबंधित न्यायालयों के समक्ष माननीय उच्च न्यायलय के आदेश दिनांक 23.01.2015 की सूचना समर्पित करते हुए निर्धारित तिथि तक स्थगन आदेश रिक्त कराने/वाद का निष्पादन करने की प्रार्थना की जाए।

4. उसी तरह **विभागीय पत्रांक 30 दिनांक 06.02.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/ मुजफ्फरपुर / सीवान / मुंगेर / लखीसराय / सारण /पूर्वी चम्पारण/ खगड़िया / पटना /भोजपुर / मधेपुरा / किशनगंज / गया / नवादा / भागलपुर / दरभंगा / अररिया / मधुबनी / समस्तीपुर / बेगूसराय / वैशाली / पश्चिमी चंपारण / सीतामढ़ी** को यह सूचित करते हुए कि उनके जिले में स्थित 37 गोशालाओं के संबंध में प्राप्त सूचनाएँ अधूरी हैं, दिनांक 10.02.2015 तक पूर्ण सूचनाएँ भेजने तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.01.2015 को पारित आदेश के आलोक में स्थगन आदेश रिक्त कराने/अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिनांक 23.02.2015 तक करने का अनुरोध किया गया।

5. **विभागीय पत्रांक 29 दिनांक 06.02.2015 द्वारा जिला पदाधिकारी, शेखपुरा/ सुपौल/ पूर्णियाँ /मधुबनी/वैशाली/पूर्वी चम्पारण/गोपालगंज/खगड़िया** को सूचित किया गया था कि उनके जिले में स्थित 14 गोशालाओं के बारे में किसी प्रकार की सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा नहीं भेजी गई हैं। अतः उनसे दिनांक 10.02.2015 तक अनुमण्डल पदाधिकारियों को पूर्ण सूचनाएँ समर्पित करने का निदेश देने तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2015 के आलोक में अतिक्रमण हटाने/स्थगन आदेश रिक्त कराने का अनुरोध किया गया था।

6. उल्लेखनीय है कि विभागीय प्रयासों के बावजूद इस संबंध में कोई अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई है और अवमाननावाद में सरकार को अप्रिय स्थिति का निरंतर सामना करना पड़ रहा है। इस मामले की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमित रूप से की जा रही है जिसमें विभागीय सचिव के अतिरिक्त मुख्य सचिव तथा जिला पदाधिकारियों एवं अनुमण्डल पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल आदेश पारित होने तथा उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की बाध्यता उत्पन्न होने की संभावना प्रबल हो गई है।

7. अतः अनुरोध है कि अविलम्ब इस पत्र के आलोक में अपने स्तर पर सभी निबंधित गोशालाओं की समीक्षा अनुमण्डल पदाधिकारियों के साथ की जाय तथा निम्न कार्रवाई सुनिश्चित की जाय :–

(क) कंडिका–3 में वर्णित जिन 8 गोशालाओं के संबंध में वादों के लंबित रहने की सूचनाएँ दी गई हैं, उन वादों में संबंधित न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.2015 से औपचारिक रूप से अवगत कराते हुए वाद निष्पादन की प्रार्थना की जाए तथा इसकी सूचना दिनांक 23.02.2015 तक विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

(ख) कंडिका–4 में वर्णित जिन 37 गोशालाओं के संबंध में पूर्ण सूचना नहीं भेजी गई है, उनके संबंध में दिनांक 23.02.2015 के अपराह्न 5.00 बजे तक पूर्ण सूचनाएँ विभागीय पत्रांक 15 दिनांक 17.01.2015 में अंकित विहित प्रपत्र में अनिवार्यतः भेज दी जाए।

(ग) कंडिका–5 में वर्णित जिन 14 गोशालाओं के संबंध में अनुमण्डल पदाधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए वांछित सूचनाओं को दिनांक 23.02.2015 तक भेजने की कार्रवाई की जाय तथा माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि तक विधिसम्मत् ढंग से अतिक्रमण/अवैध दखल हटाने की कार्रवाई की जाए।

(घ) गोशालाओं से अतिक्रमण हटाने के संबंध में पूर्व में मुख्य सचिव के पत्रांक 86 दिनांक 05.03.2012 द्वारा बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के अंतर्गत कार्रवाई करने संबंधी निदेश के आलोक में अपने व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में कार्रवाई को वैधानिक परिणति तक शीघ्र लाया जाए तथा गोशालावार सूचना विहित प्रपत्र में विभाग को पुनः उपलब्ध करायी जाय।

(ड़) यदि किसी गोशाला की परिसम्पतियों पर अतिक्रमण/अवैध दखल के बावजूद सक्षम न्यायालय में वाद दायर नहीं किया गया है तो दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करते हुए दिनांक 23.02.2015 तक सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाय और इसकी सूचना भी गोशालावार विहित प्रपत्र में विभाग को दी जाय।

(च) ऐसे मामलों की साप्ताहिक समीक्षा आवश्यक होगी ताकि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य को प्रतिकूल स्थिति का सामना नहीं करना पड़े।

(छ) उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में मधेपुरा तथा गया जिले की गोशालाओं की स्थिति विशेष रूप से रखी गई थी। अतः जिला पदाधिकारी, गया एवं जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध है कि वे इस मामले का विशेष रूप से निष्पादन करायें।

8. इस मामले की सुनवाई नियमित रूप से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा की जा रही है तथा इसका अनुश्रवण मुख्य सचिव द्वारा स्वयं किया जा रहा है। अतः इस पर समयबद्ध तथा ठोस कार्रवाई की नितान्त आवश्यकता है। **दिनांक 25.02.2015 की विडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव द्वारा इस मामले की समीक्षा की जाएगी।** उक्त तिथि को पूर्ण अद्यतन सूचना के साथ संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी भी विडियो कान्फ्रेंसिंग में उपस्थित रहेंगे। (सुलभ संदर्भ हेतु सभी संदर्भित पत्र विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है)।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 48 दिनांक 21/02/15

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

21/2/15

सरकार के सचिव